

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

दिनांक 04/06/2021

पत्रांक 1118 / 2ई0व0भू0,
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय :- जनपद-बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर में छतीना तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग के सम्बंध में। (प्रस्ताव संख्या-142498 / 2021)

सन्दर्भ :- **Online Objection Dated 29.05.2021**
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें, आपके कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर निस्तारण आख्या निम्न प्रकार है :-

क्र०सं	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Name of the nearest protected area is not mentioned in the Aerial distance certificate attached.	Name of nearest protected area is mentioned in the Aerial distance certificate & uploaded the same.
2	VLC proceeding and NOC of village Chattinaas per the village wise break up detail mentioned in B2.3 are not found attached with the FRA certificate. Kindly clarify and upload the same.	NOC of village Chattinaa Gram Panchayat-Malta is uploaded and attached in the proposal too.
3	Forest Area sought for diversion mentioned as per the Bar chart is .023ha(civil soyam)+.906ha(van panchayat) =.929ha not commensurate to what mentioned at the other places-.945 ha including .023ha civil soyam land and .922 ha van panchayat land. Kindly clarify.	Bar Chart is calculated for the basis of Length diverted for road. So land for muck disposal is not mentioned at Bar Chart. Other places muck is added.
4	(0-10) cm girth saplings are not mentioned in the tree list attached. Kindly mentioned the same.	0-10cm girth sapling are not counted in the time of JIR. Because the said girth has no rates justified by the Govt., 0-10cm girth saplings are not in use of Govt. So in the past also 0-10cm girth saplings are not mentioned in any proposals.

for
Executive Engineer
Provincial Division PWD
बागेश्वर
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि.
4

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर से छतीना तक मोटर मार्ग निर्माण।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य ^{विजसू} की सीमा से हवाई दूरी लगभग 30 कि०मी० है।

वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।